

21
TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 2 SUB-SECTION (ii) OF THE
EXTRAORDINARY GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
RAJIV GANDHI BHAWAN, NEW DELHI

23rd February, 2015

NOTIFICATION

S.O.... whereas M/s Deccan Aviation Ltd. PILATUS PC-12/45 aircraft VT-DAR was involved in an accident on 28.11.2014 while landing at Guwahati Airport.

And whereas, it appears to the Central Government that it is expedient to investigate and determine the causes and contributory factors leading to the said accident and make recommendations to avoid recurrence of such accidents in future.

Now, in the exercise of the powers conferred by the Rules 11(1) of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2012, the Central Government hereby directs that a formal inquiry of the said accident be held.


The Central Government is pleased to appoint a Committee of Inquiry headed by Shri A.X. Jospeh, Deputy Director, AAIB with the following member:

(i) Capt. Kishore Chinta Member.

The Committee will also take the assistance of other experts/agencies whenever required.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

The Committee will complete its inquiry and submit its report to the Central Government preferably within three months


(B.S. Bhullar)

Joint Secretary to Govt. of India

No.AV.15018/6/2014-DG

भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-11 खंड 2 के उप खंड (ii) में प्रकाशन के लिए

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली

२३ फरवरी, 2015

अधिसूचना

सा. आ..... जबकि मैसर्स डेक्कन एविएशन लिमिटेड पाइलेटस पी सी - 12/45 विमान बीटी-डीएआर दिनांक 28.11.2014 को गुवाहाटी हवाईअड्डे पर अवतरण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

और जबकि केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त दुर्घटना के कारण और अंशदायी कारकों का अन्वेषण और निर्धारण किया जाना, और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सिफारिशें करना समायोचित है।

अब, वायुयान (दुर्घटना एवं घटना अन्वेषण) नियमावली, 2012 के नियम 11 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त दुर्घटना की औपचारिक जांच कराई जाए।

केन्द्रीय सरकार श्री ए.एक्स.जॉसेफ, उप - निदेशक एएआईबी की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्य को शामिल कर एक जांच समिति नियुक्त करती है।

(i) कैप्टन किशोर चिंता सदस्य

समिति, जब भी अपेक्षित होगा, अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति अपनी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट अधिमानतः तीन महीने के भीतर केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।



(बी.एस. भुल्लर)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं.एवी-15018/6/2014-डीजी